

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, तांतनगर।

आदेश फलक

वाद संख्या :- 17/प.स.13/2022-23

नाम :- धनश्याम सिरवा  
पिता :- कृष्ण सिरवा  
मौजा :- तेतडा

| दिनांक  | आदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अभ्युक्ति |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3         |
| 25/6/22 | <p>आज दिनांक 25/6/22 को आवेदक <u>धनश्याम सिरवा</u><br/>पिता- <u>कृष्ण सिरवा</u>, ग्राम-<br/><u>तेतडा</u> के द्वारा मौजा <u>तेतडा</u> थाना सं- <u>206</u><br/>खाता सं- <u>51</u>, प्लॉट सं- <u>1917, 1997, 1912, 1914, 1913, 1915</u><br/>रकवा- किस्म जमीन में विवाद के<br/>संबंध में <u>भूमि विवाद समाप्त हो चुका है</u> आवेदन किया गया है</p> <p>अतः उक्त के आलोक में ईलाका मानकी/ग्रामीण मुण्डा, अंचल<br/>अमीन, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग<br/>दिनांक 13/7/22 तक करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक- 13/7/22 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">13/7/22<br/>अंचल अधिकारी<br/>तांतनगर।</p> |           |
| 13/7/22 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>ग्रामीण मुण्डा, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच<br/>प्रतिवेदन प्राप्त है उसे पुनः जाँच प्रतिवेदन ही मांग करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 28/7/22 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">13/7/22<br/>अंचल अधिकारी<br/>तांतनगर।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |

अंचल अधिकारी  
तांतनगर प.स. सिंदूर

20/7/22

अभिलेख अस्थापित !

ग्रामीण मुंडा, राजस्व एवं निरीक्षक और अंचल निरीक्षक को  
प्रतिकेस माफ हुआ। उनका अंचल प्रतिकेस विचार इस प्रकार है -

① प्रोता-मेरा धाना न - 205 एका - 51 एकर - 1919 रकबा  
1.30 ए. किलोमीटर क्षेत्र में एकर 1797 रकबा - 1.12 ए. किलोमीटर  
ग्रामीण क्षेत्र में एकर 1797 रकबा - 1.12 ए. किलोमीटर  
पिछा नोट हो यह नाम दर्ज है। आवेदन अनुरोध सिद्धा द्वारा  
विशेषतः किया गया है कि एकर - 1919 एवं एकर 1997 के रकबा  
रकबा 1.12 ए. में से 0.62 ए. प्रति एकर 51 के एकर 1797  
रेखा रेखा सिद्धा के सिद्धा सिद्धा एवं मोटा सिद्धा के रेखा  
ए सिद्धा सिद्धा द्वारा खरीदी गई है जो जिस पर वर्तमान में  
सिद्धा सिद्धा के पोट चाल खलादर रहे के पोट वजात सिद्धा  
पिछा - एकर एकर सिद्धा द्वारा उक्त एकर पर इस चालका वर  
उक्त एकर पर मजदूर अधिकृत होने की बेगिरी की जा रही है।  
खरीद बिंदु के संबंध में आवेदन अनुरोध सिद्धा द्वारा कोई  
बे संबंध आगत प्रत्युत नहीं किया जा रहा। उनके द्वारा कलम कागज  
पर खरीद बिंदु संबंधी आगत प्रत्युत की गई जो एकीकरण  
नहीं है और खरीद बिंदु के प्रमाण के अभाव में नहीं है। वर्तमान  
में आका - 51 का मातृ आका वजात सिद्धा द्वारा डाला गया जो संलग्न  
है।

② आवेदन अनुरोध सिद्धा द्वारा एकर - 51 के ही एकर 1912, 1915,  
1917, 1905 एवं एकर - 121 के एकर 1918 रकबा 0.75 ए. प्रति  
वजात पर एकर सिद्धा सिद्धा द्वारा की गई थी परन्तु वर्तमान  
में उक्त वजात सिद्धा द्वारा गवन उजा करने संबंधी  
विशेष की गई है परन्तु इस संबंध में भी अनुरोध  
सिद्धा द्वारा कोई संबंध आगत प्रत्युत नहीं किया गया।

ग्रामीण मुंडा राजस्व एवं निरीक्षक और अंचल निरीक्षक  
के अंचल प्रतिकेस का आवेदन अस्थापित किया गया। इस संबंध में आका  
आका दिनांक 27/7/22 से ग्रामीण मुंडा एवं मोटा वजात को अस्थापित होने  
विशेष अस्थापित किया गया।  
अभिलेख दिनांक 27/7/22 से अस्थापित है।

अध्यक्ष

दिनांक - 27/7/022 से ग्रामीण मुन्डा खस दोनो पक्ष अनधिकृत  
 हुए। प्रथम पक्ष अनधिकृत सिद्धा ने कस गावडारी दी दि सावेक  
 पक्ष 1919 एवं 1957 इमारे पूर्वजों के द्वारा लरीदी गई थी परन्तु  
 3 वर्षान में उलयत वजात्र सिद्धा द्वारा गवत कल्ला दिमा गा  
 रहा है इस संबंध में उनके द्वारा कागजातो की मांग की उनके  
 द्वारा कस कागजात प्रस्तुत दिमा गया। इस अनधिकृत सिद्धा  
 द्वारा मई भी वसलात्रा गया दि पक्ष 1912, 1915, 1914 एवं 1905  
 जो मेरे पूर्वजों के संबंध पर ली थी परन्तु इस पर भी  
 वजात्र सिद्धा द्वारा गवत कल्ला दिमा गा रहा है इस संबंध में  
 भी उनके द्वारा कस कागजात ही प्रस्तुत दिमा गया। दूसरे पक्ष  
 वजात्र सिद्धा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने  
 कहा कि मेरे द्वारा गवत कल्ला करने की कोशिश रही  
 है जो रही है पर परन्तु उक्त जमीन मेरे पूर्वजों की  
 जमीन इस संबंध में उनके द्वारा रेग्री अनधिकृत सिद्धा  
 प्रस्तुत की गई। इस संबंध में ग्रामीण मुन्डा द्वारा पूछे  
 जाने पर उनके द्वारा कोई स्पष्ट गावडारी नहीं मिली।  
 दोनो पक्ष के बयानों और ग्रामीण मुख के प्राप्त गावडारी  
 का अवलोकन के फलस्वरूप यह प्रतीत होता है कि उक्त  
 मामला अति संवेदनशील है इस संबंध में दोनो पक्षों को  
 विशेषकर क्षेत्र द्वितीय पक्ष को निर्देश दिमा  
 गया कि किसी गवतक उक्त मामले का समाधान  
 नहीं हो मात्र किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न करे  
 और ना ही उक्त प्रति में किसी प्रकार का लरीद बिही  
 या निर्माण कार्य करे अन्यथा उपर दानूनी सख्त  
 कारवाई की जायेगी, ग्रामीण मुन्डा से भी गावडारी दी गई  
 कि गांव में वांति व्यवस्था बनाये रखे और किसी प्रकार  
 का विवाद उत्पन्न होने पर पुरेन अचोखताशी से  
 ध्यान देते हुए स्थानीय मुन्डाई में दिनांक 10/8/022 के बलीडा  
 उपस्थित होने के लिए धर्मित दिमा गया।

समिलित दिनांक 10/8/22 को उपस्थित करें

अधिकारी

अचल अधिकारी  
संलग्न पं० सिंहभूम

10/8/22

समिलित उपस्थिति:

दिनांक 10/8/22 को दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो पाये अतः  
पुनः दिनांक 24/8/22 को दोनों पक्ष को उपस्थित होने के लिए  
सूचित किया गया।

समिलित दिनांक 24/8/22 को उपस्थित करें।

अधिकारी

अचल अधिकारी  
संलग्न पं० सिंहभूम

24/8/22

समिलित उपस्थिति।

दिनांक 24/8/22 को ग्राहीव मुन्डा एवं दोनों पक्ष लागाई हेतु  
उपस्थित नहीं हो पाये। दिनांक 24/8/22 को दोनों पक्ष के द्वारा  
निर्दिष्ट गार्ड वगैरहों के सम्मेलन एवं उनके द्वारा प्रस्तुत  
कागजातों का समीक्षण के पश्चात् किया गया। आदेश (प्रथम)  
पत्रों के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संतोषजनक नहीं हैं यदि ग्राहीव  
मुन्डा को ले जाकर इस संबंध में स्वयं जानकारी दी जाती एवं  
भाषा संवेदनशील प्रस्तुत होता है अतः दोनों पक्ष को धार्मिक  
वनाई करने का भार देते हुए एवं उक्त मामले को  
अनुमंडल पदाधिकारी का - आभास में भेजने की निर्देश नी गई  
ताकि व्यापार के माध्यम से उक्त मामले का समाधान  
की जा सके। अतः उक्त मामले को आ ग्राहीव मुन्डा,  
राज्य उपनिरीक्ष एवं अचल निरीक्षक के माध्यम से निवेदन करित  
जाती एवं संबंधित कागजातों के साथ समिलित अनुमंडल पदाधिकारी  
को भेजे।

अधिकारी

अचल अधिकारी  
संलग्न पं० सिंहभूम